कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:– 2235 / 14–1, बरेली, दिनांक, 12/फरवरी/2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद शाहजहांपुर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पुत्तुलाल चौराहा, रोजा अड्डा चौराहा (चैनेज 0.00–2.950) हथौड़ा चौराहा–पुत्तूलाल चौराहा (चैनेज 0.00–2.750) जी0आई0सी0 से अटसलिया रेलवे फाटक रोड (चैनेज0.00–3.950) बरेली मोड़ से गर्रा रोड तक (चैनेज 0.00–1.800) कुल 9.16 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 523 वृक्षो के पातन के सम्बन्ध में सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 1484/11 सी0–एफ0पी0/यू0पी0/ रोड/43247/2019 दिनांक 27–01–2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में प्रस्ताव में वर्णित निम्न प्रकार आपत्तियों का निराकरण कर वाछित अभिलेखो को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

कमसं0	शर्त सं0	अनुपालन आख्या
1	याचक विभाग तथा प्रभागीय निदेशक शाहजॅहापुर का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु तिथि का स्थान रिक्त है। अतः प्रमाण पत्र में तिथि अंकित कर आन लाइन भाग–2 में अपलोड करें।	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र पर तिथि अंकित कर भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रभावित होने वाले वृक्षो की सूची संलग्न है। किन्तु आन लाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश की सूची संलग्न नही की गयी।	प्रभावित वृक्षो की संलग्न सूची के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न है।
3	आन लाइन भाग–2 के कमांक–13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण के जियो रिफरेन्स डिजीटल मैप के स्थान पर प्रस्तावित स्थल का मैप अपलोड किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर क्षतिपूरक वनीकरण का सत्यापित जियो रिफरेन्स डिजीटल मैप अपलोड करे।	क्षतिपूरक जियो रिफरेन्स डिजीटल मैप के स्थान पर प्रस्तावित स्थल के मैप को डिलीट कर क्षतिपूरक जियो रिफरेन्स डिजीटल मैप अपलोड कर दिया गया है।
4	आन लाइन भाग–2 के कमांक–13 (v) के **Addional Information Detail** में प्रस्ताव की हार्डकापी में संलग्नकर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रो को अपलोड नही किया गया है। अतः प्रस्ताव की हार्डकापी में संलग्न सभी आवश्यक प्रमाण पत्रो को आन लाइन भाग–2 के कमांक 13 (v) में अपलोड करे।	आन लाइन भाग–2 के कमांक–13 (v) के **Addional Information Detail** में प्रस्ताव की हार्डकापी में संलग्न सभी आवश्यक प्रमाण पत्रो को अपलोड कर दिया गया है।
5	प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 8 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है जिसमें वृक्षारोपण 625 पौधे प्रति हे0 की दर से प्रस्तावित की गयी है जो कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार कम से कम 1000 पौधो का 10 वर्ष का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्नकर आन लाइन भाग–2 में	प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार 1000 पौध प्रति हे0 के अनुसार 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है एवं आन लाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया

Scanned with CamScanner

	धनराशि सहित अपलोड करे।	है।
6	पेज सं0–69 पर संलग्न अतिरिक्त प्राक्कलन को प्रस्ताव से पृथक करे।	पेज सं0–69 पर संलग्न अतिरिक्त प्राक्कलन को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
7	आपके द्वारा 10 हे0 एवं 8.50 हे0 के अवनत वनभूमि के दो अलग–अलग प्राक्कलन संलग्न किये गये है। जबकि प्रस्ताव में आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियो रिफरेन्स डिजीटल मैप 21 हे0 का एक ही मैप संलग्न किया गया है। अतः दो प्राक्कलन के स्थान पर एक ही प्राक्कलन संलग्न किया जाये।	निर्देशानुसार जियो रिफ्रेन्स डिजीटल मैप के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 18.50 है0 का प्रॉक्कलन संलग्न कर दिया गया है।

संलग्नकः– प्रस्ताव 03 प्रति में।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:–2235(1)/14–1, दिनाँकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक 3568/14–1 दिनांक 10–02–2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

Scanned with CamScanner